BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 485/2024

IN THE MATTER OF:

DR. AJAY KUMAR & Ors. ....APPLICANT(s)

VERSUS

UNION OF INDIA & OTHERS ....RESPONDENT(s)

INDEX

S. NO	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	REPLY ON BEHALF OF DISTRICT MAGISTRATE, JHANSI IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 29.05.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL	
	ANNEXURES	
2.	COPY OF THE ORDER DT. 19.08.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-1	
3.	COPY OF THE LETTER DT. 10.11.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-2	

THROUGH COUNSEL

BHANWAR PAL SINGH JADON
STANDING COUNSEL FOR STATE OF U.P.
EMAIL- bhanwar09jadon@gmail.com
Ph: 9639286572

DATE: 12.11.2025
PLACE: NOIDA

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO.485/2024

IN THE MATTER OF:

DR. AJAY KUMAR & Ors .... APPLICANT(s)

VERSUS

UNION OF INDIA &OTHERS ....RESPONDENT(s)

REPLY ON BEHALF OF DISTRICT MAGISTRATE, JHANSI IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT.29.05.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

I, Arun Kumar Gond aged about 37 years S/o Ram Chandra Prasad, presently posted as Add. District Magistrate, Jhansi,U.P. do hereby solemnly affirm and state on oat has under:

1. That I, the Deponent in the above captioned matter am fully conversant with the facts of the case and is competent and authorized to swear the present reply.
2. State that the contents of the reply have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed thereform.

NOTARY Keshav Singh Narvaria H.Q. JHANSI Reg. No.-47 (04) 82 Valid upto 21/3/2030 GOVT OF U.P. (INDIA)

3. That, in the present matter, the Applicant has made an allegation about illegal cutting of hundreds of trees in the proposed Prakhandiya park and illegal construction of nursing home, pathology, commercial medical stores and residential constructions therein.

4. That it is respectfully submitted that the Additional District Magistrate, Jhansi, vide order dated **19.08.2025**, constituted a committee to coordinate with the **Secretary, Jhansi Development Authority, Jhansi**, and to ensure necessary action in the matter under his supervision. The said committee was comprised of the following members:

   - **Naib Tehsildar**, Jhansi Tehsil, Jhansi
   - **Lekhpal**, Pichhorarea, Jhansi Tehsil, Jhansi
   - **Lekhpal**, Kochanawararea, Jhansi Tehsil, Jhansi

5. It is further stated that the said order provides that the **Executive Engineer** and the **concerned Junior Engineer** shall also be appointed as members of the above committee by the **Secretary, Jhansi Development Authority**, at his own level.

   ACopyoftheorderdt.19.08.2025hasbeenannexedherewithas

   ANNEXURER-1.

6. That further, the Deponent vide letter dt.10.11.2025, has directed the Vice-Chairman, Jhansi Development Authority, Jhansi to take necessary actions

NOTARY Keshav Singh Narvaria H.Q. JHANSI, Reg. No. 47 (04) 82 Valid up to 21/3/2030 GOVT. OF U.P. (INDIA)

in the present matter and submit the report to the Deponent. That the response with respect to aforementioned letter is awaited.

A Copy of the letter dt.10.11.2025 has been annexed here with as

ANNEXURER-2.

7. It is also pertinent to mention that the in question area falls under jurisdiction of Jhansi development authority and area is proposed under green area as per Jhansi Master Plan-2021.
8. Hence, the present reply is being submitted for the kind perusal of this Hon'ble Tribunal. It is prayed that the same be taken on record.

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at Jhansi on this day of 12 November, 2025, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 7 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

NOTARY
Keshav Singh Narvaria
H.Q. JHANSI
Reg. No. 47 (04) 82
Valid up to 21/3/2030
GOVT OF U.P. (INDIA)

Serial No. 2541
Certified that the foregoing statement sworn before me this day at ... by shri ... whom the contents of this affidavit have been read over and explained and who is identified by shri ...
Received the legal fee Rs.35/- each
KESHAV SINGH NARVARIA 12.11.2025
Advocate
Notary Distt. Jhansi (U.P.)

ANNEXURE R-1

आदेश

अपर जिलाधिकारी(वि0 / रा0) झांसी के पत्रांक 720 / एस0टी / एन0जी0टी / 2025, दिनांक 12 अगस्त 2025 के साथ संलग्न सचिव, झांसी विकास प्राधिकरण, झांसी के पत्र संख्या 823 / झा0वि0. प्रा0 / 2025–26, दिनांक 31–07–2025 के द्वारा ओ0ए0 संख्या 485 / 2024 डा0 अजय कुमार व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में पारित आदेश दिनांक 29–05–2025 के अनुपालन के कम अवगत कराया गया है कि महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, झांसी, बुन्देलखण्ड इंजीनियरिंग(बीआईटी) कॉलेज, झांसी से सटी भूमि महायोजना 2021 में प्रखण्डीय पार्क के रूप में प्रस्तावित है। लेकिन शासन की मिलीभगत से सेकड़ों पेड और पहाड़ काट कर अवैध रूप से नर्सिंग होम,पैथेलॉजी, व्यवसायिक मेडिकल स्टोर और आवासीय निर्माण करके पर्यावरण को नुकसान पहुँचाया जा रहा हैं। आवेदक का आरोप है कि इस तरह का निर्माण उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं अधिनियम का उल्लंघन है। उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 और उत्तर प्रदेश पार्क, खेल के मैदान और खुले स्थान (संरक्षण और विनियमन) अधिनियम 1975 तथा एनजीटी एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर आदेश भी दिये गये हैं। भूखण्ड की स्पष्ट स्थिति की जानकारी, स्थलीय जॉच व तथ्यों की पुष्टि करने हेतु समिति गठित किया जाना आवश्यक बताया गया है। आदेशों के अनुपालन में सर्वेक्षण के लिये तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार से अनिम्न अधिकारी के नेतृत्व में क्षेत्रीय लेखपाल एवं एक अन्य लेखपाल की टीम गठित कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

अतएव सचिव, झांसी विकास प्राधिकरण, झांसी के पत्र संख्या 823 / झा0वि0.प्रा0 / 2025–26, दिनांक 31–07–2025 में उल्लिखित तथ्यों के दृष्टिगत विषयांकित एन0जी0टी0 प्रकरण में नायब तहसीलदार झांसी के नेतृत्व में निम्नवत् टीम गठित की जाती है:–

1– नायब तहसीलदार क्षेत्र झांसी तहसील झांसी
2– लेखपाल क्षेत्र पिछोर तहसील झांसी
3– लेखपाल क्षेत्र कोछाभांवर तहसील झांसी।

उपरोक्त टीम में अधिशासी अभियन्ता एवं क्षेत्रीय अवर अभियन्ता सदस्य के रूप में सचिव, झांसी विकास प्राधिकरण अपने स्तर से तैनात करने की कार्यवाही सुनिश्चित करेगें।

उपरोक्त गठित टीम को निर्देशित किया जाता है कि वह सचिव, झांसी विकास प्राधिकरण, झांसी से सम्पर्क स्थापित कर प्रकरण में उनके दिशा–निर्देशों के कम में कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

13/08/25

प्रभारी अधिकारी(एन0जी0टी) /
अपर जिलाधिकारी(न्यायिक)
झांसी।

कर्यालय जिलाधिकारी,झाँसी

संख्याः 56 / 23–स्था0नि0लि0–एन0जी0टी0 / 2025–26 दिनांक अगस्त 13 ,2025

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2– उपाध्यक्षझांसी विकास प्राधिकरण, झांसी को सूचनार्थ।
3– सचिव, झांसी प्राधिकरण, झांसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4– उप जिलाधिकारी / तहसीलदार झांसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5– संबंधित नामित अधिकारी / कर्मचारियों को अनुपालनार्थ।

प्रभारी अधिकारी(एन0जी0टी) /
अपर जिलाधिकारी(न्यायिक)
झांसी।

कार्यालय जिलाधिकारी झांसी

संख्याः 68 /एस0टी0–एन0जी0टी0– अनुपालन/2025–26 दिनांक 10 नवम्बर 2025

विषयः– **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरकण में योजित ओ0ए0 संख्या 485/2024 डॉ अजय कुमार एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 29–05–2025 के अनुपालन के संबंध में।**

उपाध्यक्ष,
झांसी विकास प्राधिकरण,
झांसी।

कृपया उपर्युक्त विषयक मा0 न्यायालय एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 485/2024 डा0 अजय कुमार व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में पारित आदेश दिनांक 29–05–2025 के अनुपालन के संबंध में अपने कार्यालय पत्रांक संख्या 823/झा0वि0प्रा0/2025–26, दिनांक 31–07–2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण नई दिल्ली के ओ0ए0 संख्या 485/2024 डा0 अजय कुमार व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में पारित आदेश दिनांक 06–11–2024 के अनुपालन में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग(बीआईईटी) कॉलेज झांसी से सटी भूमि झांसी महायोजना 2021 में प्रखण्डीय पार्क के रूप में प्रस्तावित है। लेकिन शासन की मिलीभगत से सैकड़ों पेड और पहाड़ काट कर अवैध रूप से नर्सिंग होम, पैथोलॉजी, व्यवसायिक मेडिकल स्टोर और आवासीय निर्माण करके पर्यावरण को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। आवेदक का आरोप है कि इस तरह का निर्माण उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं अधिनियम का उल्लंघन है। उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 1973 और उत्तर प्रदेश पार्क, खेल के मैदान और खुले स्थान (संरक्षण और विनियमन) 1975 तथा एनजीटी और माननीय सर्वोच्च द्वारा समय–समय पर आदेश भी दिये गये हैं।

प्रश्नगत प्रकरण में सचिव, झांसी विकास प्राधिकरण, झांसी द्वारा मा0 एन0जी0टी नई दिल्ली के पारित आदेश दिनांक 29–5–2025 के अनुपालन में भूखण्ड की स्पष्ट स्थिति की जानकारी ,स्थलीय जॉच एवं तथ्यों की पुष्टि करने हेतु आदेशों के अनुपालन में तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार से अनिम्न अधिकारी के नेतृत्व में क्षेत्रीय लेखपाल एवं एक अन्य लेखपाल की टीम गठित किये जाने का अनुरोध किया गया था, जिसके क्रम में इस कार्यालय के आदेश संख्या 56/23–स्था0नि0लि0/एन0जी0टी/2025–26, दिनांक 19 अगस्त 2025 के द्वारा नायब तहसीलदार क्षेत्र झांसी की अध्यक्षता में टीम गठित की जा चुकी है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि प्रश्नगत प्रकरण में माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण नई दिल्ली के ओ0ए0 संख्या 485/2024 में पारित आदेश दिनांक 06–11–2024 के अनुपालन में कार्यवाही कराते हुए नियत तिथि के पूर्व विकास प्राधिकरण, झांसी के साथ–साथ अधोहस्ताक्षरी की ओर से भी जबाव दाखिल कराने का कष्ट करें।

जिलाधिकारी,
झांसी।

संख्या व दिनांक तद्

प्रतिलिपि– सचिव, झांसी विकास प्राधिकरण, झांसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जिलाधिकारी,
झांसी।